

217
D.R.(M)

Request- 96

83
01-4-13

May kindly see the letters, placed below at flags 'A', 'A-1', 'A-2' & 'A-3', received from Sri Ramesh Kumar Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat), by which he has submitted information about sale of his old 32 bore Revolver no. C-5856 and about purchase of a new 32 bore Revolver from Small Arms Factory, Kanpur.

In this connection it is submitted that Sri Yadav, vide his earlier letter dated 07.04.2012 (flag 'A') has submitted that he has sold his old 32 bore Revolver no. C-5856, endorsed to his licence no. 220/G.S. Karvi/2001, to one Sri Mehtab Alam, S/o Late Sri Mushtaq Ali Ahmad, R/o Village- Saidabad, P.S.- Handia, District- Allahabad, holder of valid licence no. 10617/2011, for Rs. 80,000/- ^{on 09.11.2011} on the basis of order/ permission of the District Magistrate, Chitrakoot having endt. no. 2540 dated 02.11.2011 and, after its sale, he has purchased a new 32 bore from Small Arms Factory, Kanpur on 30.03.2012 for Rs. 1,14,912/- on his renewed licence no. 9835/G.S. /2011 issued by the District Magistrate, Kanpur Nagar. He has also submitted copies of, order/ permission of the District Magistrate, Chitrakoot having endt. no. 2540 dated 02.11.2011, licence no. 10617/2011 of Sri Mehtab Alam, sale letter of his old Revolver & invoice of newly purchased Revolver, which may kindly be seen at flags 'B', 'B-1', 'B-2' & 'B-3' respectively.

On receipt of his said letter/ information, it has been found that he has sold his old Revolver to a private person without obtaining prior permission of the Hon'ble Court as prescribed in Rule 24 (2) of U.P. Government Servant's Conduct Rules 1956, as well as he has purchased a new Revolver without obtaining permission of the Hon'ble Court in the light of this Court's C.L. no. 11/ IVh-16/ Admin (A) dated 12.04.2010. Thus, he has been asked vide Court's letter dated 16.05.2012 (flag 'C') to submit his clarification about these two points and to submit complete and pointwise information about purchase of new Revolver in the light of this Court's C.L. no. 25/ Admin (A) dated 13.07.1998 alongwith all the relevant papers.

In reply of Court's letter dated 16.05.2012, Sri Yadav vide his letter dated 05.07.2012 (flag 'A-1') has submitted the same facts with his apology that he has not done any such act with bad intention and if any such mistake occurred, he may kindly be pardoned. But his submission was not very much clarified on the points raised through earlier Court's letter dated 16.05.2012 and as such, he was again asked vide Court's letter dated 22.08.2012 (flag 'C-1') to submit his proper reply covering each and every points/ query raised.

In reply of Court's letter dated 22.08.2012, Sri Yadav through his letter dated 13.09.2012 (flag 'A-2') has submitted details of newly purchased Revolver with complete and pointwise details as per Court's C.L. no. 25/ Admin (A) dated 13.07.1998. Apart from asking some more papers i.e. attested and complete copy of his bank account showing credit of sale proceed of his old Revolver and showing debit of amount of payment made against purchase of new Revolver, Sri Yadav, vide another Court's letter dated 09.10.2012 (flag 'C-2') has been again asked specifically on the following points:-

1. As to why he has sold his old Revolver (a movable property) to a private person obtaining prior permission of this Court as prescribed in Rule 24 (2) of U.P. Government Servant's Conduct Rules 1956?
2. As to why he has purchased a new Revolver without obtaining prior permission of this

..contd..2,..

Court in the light of this Court's C.L. no. 11/ IVh-16/ Admin (A) dated 12.04.2010?

Now, in reply of Court's letter dated 09.10.2012, Sri Yadav through his letter dated 14.12.2012 (flag 'A-3') has submitted his clarification, which is reproduced herein as under, in verbatim:

सादर उपर्युक्त विषयक में आहूत स्पष्टीकरण के संदर्भ में ससम्मान निवेदन है कि -

1- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी के आचरण नियमावली 1956 की धारा-24 (2) के अनुसार- कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी ख्याति-प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

उक्त बिन्दु संख्या-1 के संदर्भ में सादर निवेदन है कि दिनांक 15-12-2001 को मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय ने मुझे रिवाल्वर क्रय करने हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-220/जी0 एस0 कर्वी, निर्गत किया था जिसके आधार पर मैंने रिवाल्वर संख्या-सी 5856 (32बोर) क्रय किया तथा माननीय उच्च न्यायालय को संसूचित किया। मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या-2540/आयुध सहायक, दिनांकित नवम्बर 2, 2011 पर पारित आदेश के आधार पर प्राप्त अनुमति के प्रकाश में उपरोक्त रिवाल्वर संख्या-5856 मैंने वैध शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री मेहताव आलम निवासी ग्राम-सैदाबाद, तहसील-हण्डिया जिला-इलाहाबाद के पक्ष में चेक के जरिये 80,000 रुपये में दिनांक 09-11-2011 को विक्रय करने के उपरान्त मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या-2539/ आयुध सहायक नवम्बर 2, 2011 के आधार पर मा0 जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति सं.220/जी एस/कर्वी /2001 के स्थान पर निर्गत नवीन शस्त्र

अनुज्ञप्ति 9835/ जी एस /2011 थाना नबाबगंज कानपुर नगर के आधार पर मैंने लघु आयुध निर्माणी कानपुर नगर, जो कि सरकारी संस्था है, से दिनांक 30-03-12 को मु0 1,14,912 रूपये में शस्त्र संख्या-ए 0900ए रिवाल्वर (32 बोर) क्रय किया तथा क्रय एवं विक्रय के संव्यवहार से मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट को दिनांक 21-11-2011 को तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को समस्त सुसंगत अभिलेखों सहित संसूचित किया, जिसका विस्तृत विवरण एवं उल्लेख मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित पत्र दिनांक 09-11-11 एवं 07-04-12 तथा मा0 महोदय के पत्रांक संख्या-7534/ IV-2910/एडमिन (ए) दिनांकित 16-5-12 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 05-07-12 एवं पत्रांक संख्या-12517/ IV-2910/एडमिन (ए) दिनांकित 22-8-12 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 13-09-12 में अंकित है तथा जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रत्यावेदन है।

शस्त्र का क्रय एवं विक्रय संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति के बिना संभव नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मैंने मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा प्राप्त अनुमति के आधार पर संदर्भित शस्त्र का क्रय एवं विक्रय करते हुए संव्यवहार के समस्त तथ्यों से माननीय उच्च न्यायालय को नियमानुसार अवगत कराया है, अतः उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी के आचरण नियमावली के उपरोक्त नियम 24 (2) के अवज्ञा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

2-माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर संख्या-11/ IV-एच-16/एडमिन (ए) दिनांक 12-4-2010 के अनुसार-

"I am directed to say that all the judicial officers be directed that application to obtain permission for purchase of firearm be made in the Court at the time of submission of application for grant of such licence."

बिन्दु संख्या-2 के संबंध में सादर निवेदन है कि मा0 उच्च न्यायालय का उपरोक्त सर्कुलर लेटर उपबंधित करता है कि जो न्यायिक अधिकारी नवीन शस्त्र क्रय करना चाहता है उसके लिए अभीष्ट है कि वह शस्त्र हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए मा0 उच्च न्यायालय को आवेदन करते समय शस्त्र क्रय करने की अनुमति भी मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त करें। मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्र संख्या-2539/आयुध सहायक दिनांकित नवम्बर 2, 2011 पर पारित आदेश के अधीन मा0 जिलाधिकारी कानपुर नगर ने मेरे शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-220/जी0 एस0 कर्वी को अपने रजिस्टर में अंकित किया जिसके कारण मेरे उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीन क्रमांक 9835/जी.एस./2011 थाना नवाबगंज जिला कानपुर नगर हो गया है। तदनुसार मेरे

द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-220 जी एस/कर्वी 2001 ही नवीन शस्त्र संख्या 9835 जी एस/2011 थाना नवाबगंज कानपुर नगर है। अतः मेरी शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 9835/जी एस/2011 थाना नवाबगंज कानपुर नगर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सर्कुलर लेटर संख्या-11/IV-एच-16/एडमिन (ए) दिनांक 12-4-2010 के पूर्व का होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के उक्त सर्कुलर लेटर से आच्छादित नहीं है।

श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि संदर्भित शस्त्र मैंने 80,000 रूपये में विक्रय किया है जब कि विक्रीत शस्त्र की लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर में वर्तमान कीमत 85,000 के लगभग है। मेरा विक्रीत शस्त्र दस वर्ष पुराना होने तथा लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर नगर द्वारा नवीन निर्मित शस्त्र (रिवाल्वर अनमोल 32 बोर) की मारक क्षमता अधिक होने के कारण पूर्व धारित रिवाल्वर संख्या-सी 5856 का विक्रय करके रिवाल्वर संख्या-ए 0900ए क्रय किया है। अतः स्पष्ट है कि मैंने किसी आर्थिक लाभ के लिए संदर्भित शस्त्र का विक्रय मैंने नहीं किया है। प्रकरण शस्त्र के क्रय एवं विक्रय से संबंधित है। शस्त्र का क्रय एवं

विक्रय संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति के बिना संभव नहीं है। संदर्भित शस्त्र के क्रय विक्रय में मैंने किसी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही उपरोक्त वर्णित किसी नियम की जानबूझकर अवहेलना किया है फिर भी यदि संदर्भित शस्त्र के क्रय एवं विक्रय में मेरे द्वारा भ्रम वश कोई त्रुटि कारित हो गयी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तथा भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। संदर्भित शस्त्र के क्रय एवं विक्रय संबंधित अभिलेखों की खोजबीन करने, न्यायालयीय कार्य की व्यस्तता एवं ग्रेटर नोयडा में ट्रेनिंग में शामिल होने के कारण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित हुआ है जिसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

अतः संदर्भित शस्त्र के क्रय विक्रय के परिप्रेक्ष्य में व्यय विवरण के निर्धारण हेतु चेक एवं पास बुक की स्वतः प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रत्यावेदन करते हुए उपरोक्तानुसार आख्या श्रीमान जी की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

In this connection, it is further submitted that the officer has sold his old Revolver without obtaining prior permission of this Court but he has stated that he has sold the same after taking permission of the District Magistrate, Chitrakoot. In this context, it is submitted that such type of permission for sale of a movable property may also required to be taken from parent department under Rule 24 (2) of U.P. Government Servant's Conduct Rules 1956. He has purchased a new Revolver also without obtaining prior permission of this Court under the provisions of Circular letter no. 11/ IVh-16/ Admin (A) dated 12.04.2010 (flag 'D') and in this context, he is taking shelter of the provisions of Rule 24 (2) of U.P. Government Servant's Conduct Rules 1956, by which no prior permission is required if any such transaction conducted with or through a regular and reputed dealer. However, in the case prior permission of the Court is required to be taken under the provisions of Court's C.L. no. 11/ IVh-16/ Admin (A) dated 12.04.2010. He has also submitted that he posses Revolver's licence since before issuance of the Court's C.L. Dated 12.04.2010, and as such he is not required to obtain permission to purchase the revolver under this Circular also. But, the contents of Court's Circular letter dated 12.04.2010 should not be taken in such spirit. He has also submitted copies of, Pay orders against purchase of new Revolver (flag 'E') and pass book of his S.B. A/c (flag 'F') in which no particular entry of said amounts have been seen. However, in the last, he has regretted for any such mistake of him and assured the Court that such type of mistake will not be repeated in future.

Under the facts and circumstances, mentioned above, if approved, the explanation/ file

Request - 96

of the officer may kindly be laid before Hon'ble Mr. Justice Sanjay Misra for His Lordship's kind perusal and orders?

U.K. Jaiswal
14.02.13


Registrar (Budget)

Submitted for kind perusal & onward submission before Hon'ble Mr. Justice Sanjay Misra for his Lordship's kind perusal & orders, because the report asked under Court's letter dtd 9.10.12 in regard to sale of his 32 bore Revolver & purchase of new 32 bore Revolver from Sri Ramesh Kumar Yadav, ACTM, Romakai Nagar have been enumerated above in detail.

DR. SIVAKRISHNAN
16.02.13

Hon'ble Mr Justice Sanjay Misra
19.2.13
J.R.(M)

may kindly like to permit the explanation of the officer. may also like to pass suitable orders as per explanation of the officer


14.2.13
Registrar (B)